95

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर

प्र. क्र.PBR निगरानी / ग्वा / भू0राज0 / 2017 / 3526

श्रीमती मुन्नीबाई पत्नी श्री नबाबसिंह निवासी ग्राम कुसराजपुर तहसील व जिला ग्वालियर म0प्र0 ....प्रार्थिनी

बनाम

श्रीमती प्रेमा पत्नी श्री मेहताबसिंह निवासी ग्राम भानपुर तहसील व जिला मुरैना

2. श्रीमती भग्गोबाई पत्नी श्री देवीसिंह निवासी ग्राम ओड़पुरा तहसील व जिला ग्वालियर म0प्र0

3. श्रीमती रामकली पत्नी श्री बद्रीसिंह निवासी ग्राम जडेरूआ तहसील व जिला मुरैना ...प्रतिप्रार्थीगण

4. गजराजसिंह पुत्र श्री रोशनसिंह निवासी ग्राम कुशराजपुर तहसील व जिला ग्वालियर

5. श्रीमती वैकुण्ठी पत्नी श्री शोभाराम निवासी ग्राम जडेरूआ तहसील व जिला ग्वालियर म0प्र0 ....फॉरमल पक्षकारगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभि. द्वारा आज दि. 25.9.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 25.9.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

12.4.10.17

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय अनुविभगीय अधिकारी झॉसी रोड़ के प्रकरण कमांक 14 / 2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांकी 06.09.2017 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी

श्रीमान जी,

प्रार्थिनी की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यह कि, ग्राम कुशराजपुर परगना व जिला ग्वालियर में स्थित सर्वे कमांक 223 रकवा 1.055हे0 भूमि तथा दूसरा सर्वे कमांक 262, रकवा 0.88हे0 भूमि थी । जो कि राजस्व अभिलेख में वसीयतकर्ता के नाम से भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज थी और वसीयतकर्ता को उक्त भूमि का वसीयतनामा करने का कानूनी अधिकारी प्राप्त था सर्वे कमांक 223 आशाराम पुत्र श्री जगमनसिंह की स्वअर्जित संपत्ति थी तथा सर्वे कमांक 262 में आशाराम पुत्र श्री जगमनसिंह का 470, / 888 हे0 भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज थी

कमश............2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक पीबीआर–निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2017/3526

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12.1.2018	निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक को गया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी झांसी रोड ग्वालियर के प्रकरण कमांक 14/13–14 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 6–9–17 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन करने पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित अपील प्रकरण में पेशी 6–9–17 को धारा 32 के आवेदन पर तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेश हेतु नियत किया गया, जिसके विरूद्व यह निगरानी है। धारा 32 के आवेदन पर तर्क सुने जाकर प्रकरण इस आवेदन के बिन्दुओं के निराकरण हेतु नियत किया गया, जिससे आवेदक को कौनसी क्षति पहुंची है अथवा क्षति पहुंचने की संभावना हुई है ? आवेदक के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके हैं जबकि अनुविभागीय अधिकारी ने आगामी तिथि 13–9–17 को धारा 32 के आवेदन पर की गई आपत्ति का निराकरण कर दिया है जिसके कारण यह निगरानी प्रचलन योग्य नहीं रही है। 3/ उपरोक्त कारणों से निगरानी प्रचलन–योग्य न पाये जाने से निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। प्रकरण अंक से कम किया जाकर रिकार्ड रूम में जमा किया जावे। सदस्य	